21/17

1
A2
2

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– यशपाल आहूजा, आर.ए.एस.

विविध प्रार्थनापत्र संख्या 21/2017
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

अमरीकसिंह आयु 34 वर्ष आत्मज श्री कुलवन्तसिंह, जटसिख, चक 9 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

.....आवेदक

बनाम

श्रीमती सुखविन्द्रकौर आये 90 वर्ष धर्मपत्नी श्री कुलवन्तसिंह, जटसिख, चक 9 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

.....अनावेदिका

दिनांक 8 मई, 2017

।। आदेश ।।

आवेदनपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 9 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्य 2/46 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 1 से 25 कुल 6.200 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 14/2(0.215), किला नम्बर 15 से 19 प्रत्येक सालम, किला नम्बर 20/1(0.045) हैक्टर कुल 1.525 हैक्टर कुल 7.85 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है. जिसमें से आवेदक के नाम पर 2.672 हैक्टर, आवेदक के भाई श्री गुरप्रीतसिंह के नाम पर 2.554 हैक्टर, अनावेदिका के नाम से 1.762 हैक्टर एवं श्री बलकरणसिंह के नाम पर 0.570 हैक्टर एवं श्री राजकिरण के नाम से 0.292 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी में दर्ज है. उक्तांकित कृषि भूमि की बाबत आवेदक, आवेदक के भाई, माता श्रीमती सुखविन्द्रकौर के मध्य दिनांक 5 अक्तूबर, 2004 को गवाहान के समक्ष लिखित बंटवारानामा निष्पादित किया गया जिस पर श्री गुरप्रीतसिंह एवं अनावेदिका द्वारा स्वेच्छा से हस्ताक्षर किये गये थे तथा बंटवारानामा के अनुसार आवेदक को मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 1 से 13 कुल 13.00 बीघा एवं अवासीय भूखण्ड पैमायशी 50 40 फुट, श्री गुरप्रीतसिंह को, मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 14 से 25 कुल 12.00 बीघा एवं पक्का आवासीय मकान पैमायशी 80 100 फुट एवं श्रीमती सुखविन्द्रकौर को जोवन पर्यन्त मुरब्बा नम्बर 10 में 6.00 बीघा पर उपभोगिता अधिकार तथा उनकी मृत्योपरान्त दोनों भाईयों का बहिस्सा बराबर बराबर दिया गया जिसकी पालना में आवेदक एवं उसका भाई बंटवानामा की तिथि से ही काबिज हो गये हैं तथा आवेदक द्वारा अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर सुधार किये जाकर मेहनत कर उपजाउ बनाया गया है. आवेदक का भाई श्री गुरप्रीतसिंह काफी तेज तर्रार व्यक्ति है जो अनावेदिका की वृद्धावस्था का लाभ उठाते हुऐ अपने अनुचित प्रभाव से उसके नाम की 0.570 हैक्टर कृषि भूमि का विकय बलकरणसिंह आत्मज श्री शेरसिंह को विकय कर प्रतिफल राशि अनावेदिका को न देकर स्वयं हड़प गया है. अनावेदिका

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

21/17

(5)
A2

की आयु काफी ज्यादा हो चुकी है तथा वह अनपढ एवं देहाती महिला है तथा अनावेदिका इस अवस्था में बिस्तर पर ही लेटी रहती है. जिसकी सुनने समझने की क्षमता समाप्त हो चुकी है जिसके स्वास्थ्य के लिये निरन्तर औषधियां चल रही है. आवेदक के भाई श्री गुरप्रीतसिंह द्वारा पूर्व में भी अनावेदिका के नाम दर्ज कृषि भूमि का वकय किया गया था अब पुनः अनावेदिका की कमजोर मानसिक अवस्था का लाभ उठाते हुऐ अनावेदिका के नाम की कृषि भूमि पर ऋण प्राप्त करने के प्रयास में है जिसके लिये पटवारी से सम्पर्क भी कर रहा है. श्री गुरप्रीतसिंह अनावेदिका के नाम काफी बड़ी राशि का ऋण प्राप्त कर स्वयं उपयोग करने में प्रयासरत है जिसे ऋण राशि चुकाने की कोई इच्छा नही है चूंकि अनावेदिका को इस अवस्था में ऋण की आवश्यकता नहीं है किन्तु श्री गुरप्रीतसिंह अनावेदिका के नाम से ऋण लेने में प्रयासरत है. अनावेदिका ने उक्त भूमि के बंटवारा में आवेदक एवं श्री गुरप्रीतसिंह को दे दी है जिस पर आवेदक काबिज है अब अनावेदिका इस भूमि पर ऋण नहीं ले सकती. आवेदक दिनांक 10 मार्च, 2017 को अनावेदिका से मिल कर उक्त भूमि पर ऋण नहीं लेने का कहा गया किन्तु अनावेदिका की मानसिक अवस्था ठीक नहीं है तथा सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो चुकी है जिसका लाभ श्री गुरप्रीतसिंह उठा रहा है. जिसके द्वारा कथन किया गया कि वह अनावेदिका के नाम पर दर्ज कृषि भूमि पर ऋण लेकर रहेगा ताकि आवेदक की भूमि बैंक द्वारा कुर्क कर ली जाये और आवेदक को बेदखल किया जा सके. यही वादहेतुक आवेदक को उपलब्ध है. आवेदक का प्रथमदृष्टया प्रकरण बनता है, सुविधा का सन्तुलन आवेदक के पक्ष में है तथा ऐसी स्थिति में, अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक है कि अनावेदिका चक 9 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 2/46 मुरब्बा नम्बर 9 व 10 की 1.762 हैक्टर कृषि भूमि पर ऋण लेने से निषिद्व रहे. इस प्रकार आवेदक द्वारा चक 9 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 2/46 मुरब्बा नम्बर 9 व 10 की 1.762 हैक्टर कृषि भूमि पर ऋण लेने से निषिद्व किये जाने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 एवं इकरारनामा बाबत बंटवारानामा दिनांक 5 अक्तूबर, 2004 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

अनावेदिका द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित आकर जवाब आवेदनपत्र दिनांक 17 अप्रेल, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार अनावेदिका अपने हिस्सा की कृषि भूमि की स्वतन्त्र रूप से मालिक एवं काबिज है जिसमें आवेदक का कोई ताल्लुक व वास्ता नही है न ही आवेदक अनावेदिका के विरूद्व किसी भी आशय का वादपत्र प्रस्तुत कर सकता है. अनावेदिका के नाम पर दर्ज कृषि भूमि का श्री बलकरणसिंह को विकय श्री गुरप्रीतसिंह द्वारा नहीं बल्कि फर्म बाबूसिंह भगवंतसिंह, श्रीगंगानगर आढतिया से समय समय पर अनावेदिका द्वारा राशि 5.65 लाख उधार ली गयी थी जिसे आवेदक द्वारा भुगतान किया जाना था चूंकि आवेदक नशे का आदी है तथा

[signature]
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

21/17

(5)

A2
4

उक्त राशि का भुगतान नहीं किये जाने, तत्समय प्रश्नगत कृषि भूमि संयुक्त खाता की होने के कारण भुगतान की जिम्मेवारी श्री गुरप्रीतसिंह द्वारा ली गयी थी, फर्म द्वारा श्री गुरप्रीतसिंह की जिम्मेवारी स्वरूप दिये गये चैक का भुगतान नहीं होने के कारण प्रकरण दर्ज करवाया गया जिसके परिणामतः भूमि का विक्रय का ऋण राशि का भुगतान किया गया है. श्री गुरप्रीतसिंह द्वारा किसी भी प्रकार की राशि हड़प नहीं की गयी. इस प्रकार के समस्त तथ्य असत्य अंकित किये गये हैं. अनावेदिका अपना भला बुरा समझती है तथा पूर्ण रूप से स्वस्थचित है, किसी भी प्रकार से श्री गुरप्रीतसिंह के दबाव एवं प्रभाव में नहीं है बल्कि स्वयं अनावदिका अपनी भूमि के सुधार हेतु फसली ऋण लेना चाहती है जिस पर आवेदक द्वारा रोक नहीं लगायी जा सकती. अनावेदिका अपने नाम पर दर्ज कृषि भूमि पर स्वयं काश्त करवा रही है जिस पर आवेदक का कब्जा नहीं है. अतिरिक्त कथनों में अंकित किया गया कि आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से उपस्थित नहीं हुआ बल्कि केवल मात्र अनावेदिका को परेशान करने की नीयत से असत्य कथनों के आधार पर आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है. आवेदक नशा करने का अभ्यस्त है तथा आये दिन नशा कर अनावेदिका एवं अपने भाई श्री गुरप्रीतसिंह से झगड़ा करता है और जबरदस्ती अनावेदिका से कृषि भूमि लेना चाहता है जबकि किसी भी प्रकार से न तो अनावेदिका की देखभाल व सेवा करता है बल्कि अपनी पत्नी एवं श्वसुर के दबाव में अनावेदिका की कृषि भूमि हड़प करना चाहता है. बंटवारानामा न तो पंजीबद्व है न ही नियमानुसार मुद्रित है जिसे साक्ष्य में स्वीकार नही किया जा सकता. आवेदक द्वारा पूर्व में श्री गुरप्रीतसिंह की भूमि जो श्री अमरजीतसिंह से 0.854 हैक्टर दोनों भाईयों ने क्रय की गयी थी में से धोखा से 0.632 हैक्टर आवेदक ने अपने नाम पर करवा ली तथा 0.222 हैक्टर अपने भाई के नाम पर करवायी गयी है. आवेदक नेकनीयत नहीं है जो अनावेदिका वृद्व महिला को तंग व परेशान कर भूमि हड़प करना चाहता है. इस प्रकार विशेष हर्जाना राशि के साथ आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया. जवाब आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में फर्म बाबूसिंह धींगड़ा एण्ड कम्पन्नी द्वारा लिखित तहरीर दिनांक 14 नवम्बर, 2008 एवं दस्तावेज बैयनामा दिनांक 23 मई, 2011की चित्रित प्रतियां सलंग्न प्रस्तुत की गयी.

अधिवक्तागण द्वार प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 के अनुसार अनावेदिका चक 9 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 2/46 मुरब्बा नम्बर 9 व 10 की 1.762 हैक्टर कृषि भूमि की अभिलेखीय खातेदार है, जिसे वह अपनी स्वेच्छा से उपयोग एवं उपभोग करने के लिये स्वतन्त्र एवं सक्षम है, ऐसी स्थिति में, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति के बिन्दु आवेदक के पक्ष में सिद्व नहीं

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

21/17

(6)

172/5

होने के कारण आवेदक किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है.

अतः आवेदनपत्र निरस्त किया जाता है.

आदेश आज दिनांक 8 मई, 2017 को खुले न्यायालय में पक्षकारान के अधिवक्तागण की उपस्थिति में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),
श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर